कंपनी का नाम	डीपी आईडी – ग्राहक आईडी/फोलियो नं.
बैंक ऑफ इंडिया	

आयकर नियम, 1962

फॉर्म संख्या 15जी

[धारा 197ए(1), 197ए(1ए) और नियम 29सी *देखें*]

कर की कटौती के बिना कतिपय आयों का दावा करने वाले किसी व्यष्टि या किसी व्यक्ति द्वारा (जो कंपनी या फर्म न हो) की जाने वाली धारा 197ए (1) और धारा 197ए (1ए) के अधीन घोषणा

भाग - I

1. निर्धारिती (घोषणाकर्ता) का नाम		2. निर्धारिती का पैन	
3. प्रास्थिति [2] **व्यक्ति**	**4.** पिछला वर्ष (पू.व.) ' **: 2025-26** (जिसके लिए घोषणा की जा रही है)	5. आवासीय प्रास्थिति [4] **निवासी व्यक्ति**	
6. फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं.	7. परिसर का नाम	8. सड़क/गली/लेन	9. क्षेत्र/अवस्थान
10. नगर/शहर/जिला	11. राज्य	12. पिन	13. ईमेल
14. टेलीफोन संख्या (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल संख्या	15. (क) क्या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर निर्धारित है ? (ख) यदि हां, तो नवीनतम कर निर्धारण वर्ष क्या है?	हां	नहीं
16. अनुमानित आय जिसके लिए यह घोषणा की गई है		17. वित्तीय वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें स्तंभ 16 में वर्णित आय को शामिल किया जाना है।	

18. पिछले वर्ष के दौरान इस फॉर्म के अलावा दाखिल किए गए फॉर्म संख्या 15जी का ब्यौरा, यदि कोई हो [7]

फ़ाइल किए गए फॉर्म संख्या 15जी की कुल संख्या	आय की कुल राशि जिसके लिए फॉर्म संख्या 15जी फ़ाइल किया गया

आय का विवरण जिसके लिए घोषणा फ़ाइल की गई है

क्रम सं.	सुसंगत निवेश/खाता आदि की पहचान संख्या	आय की प्रकृति	वह धारा जिसके अंतर्गत कर कटौती योग्य है	आय की राशि

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा/सत्यापन

*मैं/हम .....घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर जो कथन किया गया है वह सही, पूर्ण और सत्य है।

*मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस प्रपत्र में निर्दिष्ट आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से 64 के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं है।

मैं/हम यह और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय/आयों सहित मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय* और स्तंभ 18 में निर्दिष्ट *आय/आयों की कुल राशि पर, जो **31-03-2026** को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार संगणित है, जो कर निर्धारण वर्ष **2026-27** से संबंधित है, *कर शून्य* होगा ।

*मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि * मेरी/हमारी स्तंभ 16* में निर्दिष्ट आय/आयें तथा **31-03-2026** को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के लिए स्तंभ 18 में निर्दिष्ट आय/आयों की कुल राशि , कर निर्धारण वर्ष **2026-27** के लिए प्रासंगिक , उस अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी, जो आयकर हेतु देय नहीं है।

स्थान:

दिनांक:..... *घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर*

1. आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित, 1-10-2015 से प्रभावी, इससे पहले फॉर्म संख्या 15जी को आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1982 द्वारा 21-6-1982 से सम्मिलित किया गया था और बाद में आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1989 द्वारा 1-4-1988 से, आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 1990 द्वारा 20-11-1990 से और आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2002 द्वारा 21-6-2002 से संशोधित किया गया तथा आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2003 द्वारा 9-6-2003 से और आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2013 द्वारा 19-2-2013 से प्रभावी किया गया।

भाग II

भाग 1 के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा भरा जाए]

<table>
<tr><td colspan="2">1. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम</td><td colspan="2">2. विशिष्ट पहचान संख्या</td></tr>
<tr><td>3. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पैन</td><td colspan="2">4. पूरा पता</td><td>5. संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का टैन</td></tr>
<tr><td>6. ईमेल</td><td colspan="3">7. टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नंबर
8. संदत्त आय की राशि</td></tr>
<tr><td colspan="2">9. घोषणा प्राप्त होने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)</td><td colspan="2">10. वह तिथि जब आय का संदाय/जमा किया गया (दिनांक/माह/वर्ष)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

स्थान:.....

तिथि.....

भाग I के स्तंभ 16 में निर्दिष्ट आय का
संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

*जो भी लागू न हो उसे हटा दें।

धारा 206 एए (2) के प्रावधानों के अनुसार, धारा 197 ए (1) या 197 ए (1ए) के तहत घोषणा अमान्य होगी यदि घोषणाकर्ता अपना वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

धारा 197 ए (1) के तहत एक व्यक्ति और धारा 197 ए (1ए) के तहत एक व्यक्ति (कंपनी या फर्म के अलावा) द्वारा घोषणा प्रस्तुत की जा सकती है।

वह वित्तीय वर्ष जिससे आय संबंधित है।

कृपया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार आवासीय प्रस्थिति बताएं।

यदि घोषणा दाखिल करने के वर्ष से पहले के छह निर्धारण वर्षों में से किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत कर निर्धारण किया गया है तो कृपया "हां" का उल्लेख करें।

कृपया पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय की राशि का उल्लेख करें जिसके लिए घोषणा। दाखिल की गई है, जिसमें वह आय राशि भी शामिल है जिसके लिए यह घोषणा की गई है।

यदि पिछले वर्ष के दौरान इस घोषणा को फाइल करने से पहले फॉर्म संख्या 15जी में कोई घोषणा(एँ) फाइल की गई है, तो फाइल किए गए ऐसे फॉर्म संख्या 15जी की कुल संख्या के साथ-साथ आय की कुल राशि का उल्लेख करें जिसके लिए उक्त घोषणा(एँ) फाइल की गई हैं।

शेयरों, सावधि जमा, आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत योजनाओं, जीवन बीमा पॉलिसी संख्या, कर्मचारी कोड आदि की की विशिष्ट संख्या खाता संख्या का उल्लेख करें।

एचयूएफ, एओपी आदि की ओर से घोषणा किस हैसियत से प्रस्तुत की गई है, इसका उल्लेख करें।

घोषणा/सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस फॉर्म में दी गई जानकारी सभी मामलों में सत्य, सही और पूर्ण है। घोषणा में गलत बयान देने वाले किसी भी व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और दोषी पाए जाने पर उसे निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं-

(i) ऐसे मामले में जहां कर की चोरी पच्चीस लाख रुपये से अधिक हो, कठोर कारावास से, जो छह महीने से कम नहीं होगा, किन्तु सात वर्ष तक हो जा सकेगा या जुर्माना भी लगाया जा सकेगा;

(ii) किसी अन्य मामले में, सश्रम कारावास से, जो तीन माह से कम नहीं होगा किन्तु दो वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।

भाग। के कॉलम 16 में उल्लिखित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष की तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त सभी फॉर्म सं. 15 जी को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करेगा और उसी तिमाही के लिए प्रस्तुत टीडीएस विवरण में आयकर नियम, 1962 के नियम 31 ए (4) (vii) में निर्धारित विवरणों के साथ इस संदर्भ संख्या की रिपोर्ट करनी होगी। यदि व्यक्ति को उसी तिमाही के दौरान फॉर्म नंबर 15 एच भी प्राप्त हुआ है, तो कृपया फॉर्म नंबर 15 जी और फॉर्म नंबर 15 एच के लिए क्रम सं. की पृथक श्रृंखला आबंटित करें।

भाग 1 के कॉलम 16 में निर्दिष्ट आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उस स्थिति में घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा, जब धारा 197ए की उपधारा (1) या उपधारा (1ए) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की राशि या पिछले वर्ष के दौरान जमा या संदाय की गई या जमा या संदाय की जाने वाली संभावित ऐसी आय की राशियों का योग, जिसमें ऐसी आय शामिल की जानी है, उस अधिकतम राशि से अधिक है, जिस पर कर नहीं लगता है। पात्रता तय करने के लिए, उससे यक अपेक्षा की जाती है कि वह स्तंभ 16 और 18 में घोषणाकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई आय या आय की कुल राशि, जैसा भी मामला हो, का सत्यापन करें।